रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092022-239167 CG-DL-E-27092022-239167

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] No. 649] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 27, 2022/आश्विन 5, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 27, 2022/ ASVINA 5, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2022

सं. 50/2022-सीमा-शुल्क

सा.का.िन. 730(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 50/2017 सीमा-शुल्क, तारीख 30 जून, 2017 जो संख्यांक सा.का.िन. 785(अ), तारीख 30 जून, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

- I उपाबंध में, सूची 33 में,-
 - (i) मद 3 के सामने, कॉलम (2) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "8413, 8414 या 8481" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) मद 14 के सामने.-
 - (क) कॉलम (2) में, "3104 20 00" अंकों के बाद, अंक "2915" अंत:स्थापित किया जाएगा;
 - (ख) कॉलम (3) में, "और तेल और गैस कुओं विशिष्ट सीमेंट योजक" शब्दों के लिए, "तेल और गैस कुएं विशिष्ट सीमेंट योजक और सीज़ियम फॉर्मेट" अंत:स्थापित किया जाएगा।

6494 GI/2022 (1)

2. यह अधिसूचना 28 सितम्बर, 2022 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/45/2021-टीआरय]

विक्रम विजय वानेरे, अवर सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2017 को सा.का.िन. 785 (अ) तारीख 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अंतिम बार अधिसूचना सं.40/2022-सीमाशुल्क, तारीख 13 जुलाई, 2022-सीमाशुल्क द्वारा संशोधित की गई थी, जो संख्यांक सा.का.िन. 572 (अ) तारीख 14 जुलाई, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2022

No. 50/2022-Customs

G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

I. in the ANNEXURE, in List 33, -

- (i) against item 3, in column (2), for the entry, the entry "8413, 8414 or 8481" shall be substituted;
- (ii) against item 14,-
 - (a) in column (2), after the figures "3104 20 00", the figures "2915" shall be inserted;
 - (b) in column (3), for the words "and Oil and Gas wells specific Cement Additives", the words "Oil and Gas wells specific Cement Additives and Cesium Formate" shall be inserted.
- 2. This notification shall come into force on the 28th day of September, 2022.

[F. No. 190354/45/2021-TRU]

VIKRAM VIJAY WANERE, Under Secy.

Note : The principal notification No. 50/2017-Customs, dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 785(E), dated the 30th June, 2017 and was last amended *vide* notification No. 40/2022-Customs, dated the 13th July, 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R. 572 (E), dated the 14th July, 2022.